फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

धापी बनाम [illegible]

मुकदमा नम्बर :– 115/2020

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र 022R3 CPC स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा.पत्र 022R3 CPC स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित शिकि हेतु आगामी दिनांक 27/3/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	27/3/25	व. वादी उप.। संशोधित शिकि पेश हुआ। जो शा.कि. है। बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.कि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

मु0सं0–115/2020
उनवान–घासी बनाम बजरंग वगै0
निर्णय दिनांकः–27.03.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

घासी पुत्र भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1. सुवा देवी पत्नी स्व0 घासी

1/2. पोखरमल पुत्र स्व0 घासी

1/3. मोहनलाल पुत्र स्व0 घासी

1/4. बोदूराम पुत्र स्व0 घासी

1/5. फूलचन्द पुत्र स्व0 घासी

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

1/6. राजू देवी पत्नी रामदेव पुत्री स्व0 घासी, जाति जाट, निवासी ग्राम सिमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

–वादीगण–

बनाम

1. बजरंग सिंह पुत्र गणपत सिंह
2. चैन सिंह पुत्र गणपत सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उपतहसीदार उपतहसील गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. चेताराम दत्तक पुत्र कालू
6. जैसा पुत्र भक्ता
7. भागीरथ पुत्र देबूराम
8. रुडाराम पुत्र देबूराम
9. सुण्डाराम पुत्र गणपत
10. हरिराम पुत्र देबूराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–115/2020
उनवान–घासी बनाम बजरंग वगै0
निर्णय दिनांक–27.03.2025

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–115/2020

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम सिंगोदकलां, पटवार हल्का सिंगोदकलां, भू0अभि0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नं0 857 रकबा 1.89 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.89 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.03.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत...कलेक्टर...
ओहदा...(जयपुर)...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—115/2020
उनवान—घासी बनाम बजरंग वगै0
निर्णय दिनांकः—27.03.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—115/2020

उनवान

घासी पुत्र भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1. सुवा देवी पत्नी स्व0 घासी

1/2. पोखरमल पुत्र स्व0 घासी

1/3. मोहनलाल पुत्र स्व0 घासी

1/4. बोदूराम पुत्र स्व0 घासी

1/5. फूलचन्द पुत्र स्व0 घासी

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

1/6. राजू देवी पत्नी रामदेव पुत्री स्व0 घासी, जाति जाट, निवासी ग्राम सिमारला जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

—वादीगण—

बनाम

1. बजरंग सिंह पुत्र गणपत सिंह
2. चैन सिंह पुत्र गणपत सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उपतहसीदार उपतहसील गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. चेताराम दत्तक पुत्र कालू
6. जैसा पुत्र भक्ता
7. भागीरथ पुत्र देबूराम
8. रुडाराम पुत्र देबूराम
9. सुण्डाराम पुत्र गणपत
10. हरिराम पुत्र देबूराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर

मु0सं0—115 / 2020
उनवान—घासी बनाम बजरंग वगै0
निर्णय दिनांक:—27.03.2025

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :—27.03.2025

वादी द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम सिंगोदकलां, पटवार हल्का सिंगोदकलां, भू0अभि0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नं0 857 रकबा 1.89 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.89 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमियों में वादी का हिस्सा 1/2 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, शेष भूमि प्रतिवादीगण सं0 5 ता 10 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि ही वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजियात है। विवादग्रस्त आराजियात के प्रतिवादी सं0 1 व 2 पड़ौसी खातेदार काश्तकार हैं जिनका विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है तथा ना ही विवादित भूमि में आने—जाने का कोई रास्ता है, ना ही कभी पूर्व में रहा है, ना ही वर्तमान में है, ना ही प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त आराजियात में से होकर कभी भी रास्ते का उपयोग—उपभोग किया गया, ना ही वर्तमान में कर रहे हैं। वादी अपने पूर्वजों के समय से विवादित आराजियात का उपयोग—उपभोग करता चला आ रहा है तथा विवादित आराजियात में वादी व उसके सह खातेदार प्रतिवादीगण सं0 5 ता 10 ने अपने—अपने हक हिस्से की भूमि पर फसल बो रखी है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग—उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवारा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजियात पर अपनी भूमि की सींव—डोल बनाकर बाड़ कर रखी है। वादी विवादित आराजियात पर काबिज खातेदार स्वामी है जिस कारण वादी को उपरोक्त आराजियात का हर प्रकार से उपयोग—उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 का वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, ना ही विवादग्रस्त आराजियात में मौके पर कोई रास्ता चालू है, ना ही कभी पूर्व में रहा है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रतिवादी सं0 3 व 4 से मिलीभगत कर वादी की भूमि में से जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं तथा विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग—उपभोग में जबरिया व्यवधान कारित करते हैं तथा जिसका प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी विधि विरुद्ध उद्देश्य से प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा दिनांक 24.07.2020 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादी के कब्जे की भूमि में से जबरन रास्ता निकालने की धमकी दी गई एवं वादी के कब्जे एवं

सहायक कलक्टर

स्वामित्व के उपयोग—उपभोग में व्यवधान कारित किया गया जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादी को ऐलानियां धमकी दी गई कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि में प्रतिवादी सं0 3 व 4 के सहयोग व मिलीभगत से वादी की भूमि में से जबरिया उगी हुई फसल में से रास्ता निकालकर रहेंगे तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग—उपभोग नहीं करने देंगे, जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, जिस कारण वाद वादी श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वारा वाद पत्र मय शपथ—पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 857 रकबा 1.89 हैक्टेयर के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग—उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही विवादित भूमि पर लगे हुए खम्भों को उखाड़ें, ना ही वादी की भूमि में से जबरिया अतिक्रमण करें, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें, ना ही कोई रास्ता निकालें तथा प्रतिवादी सं0 3 व 4 प्रतिवादी सं0 1 व 2 के उक्त कृत्यों में सहयोग नहीं करें, ना ही प्रतिवादी सं0 3 व 4 मौके पर जाकर कोई रास्ता निकालें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया है कि दिनांक 28.07.2020 को श्रीमान उपतहसीलदार साहब गोविन्दगढ़ के आदेश क्रमांक आर0ए0/20/258—259 दिनांक 27.07.2020 की पालना में बहमराह पटवारी हल्का सिंगोदकलां, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिंगोदकलां, सचिव ग्राम पंचायत सिंगोदकलां, पुलिस जाप्ता मय महिला पुलिस थाना गोविन्दगढ़ के ग्राम सिंगोदकलां में बावरियों की जोड़ी से खसरा नं0 954/1 से 1812 खाडिया वाली जोड़ी की ओर खसरा नं0 857 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे चलते हुये खसरा नं0 1812 में से होते हुये जाने वाले बन्द किये गये कदीमी रास्ते को मौके पर पहुंचकर प्रशासन द्वारा पुलिस इमदाद से खुलवाया गया था। उक्त रास्ते को खोले जाने के समय भी उक्त वादी घासी पुत्र भूरा द्वारा ऐतराज किया गया था तथा उपस्थित प्रशासन द्वारा रास्ते को खोले जाने बाबत समझाईश की गई थी परन्तु रास्ता नहीं खोले जाने पर प्रशासन द्वारा जरिये पुलिस इमदाद रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर रास्ता चालू किया गया था तथा पक्षकारान को और अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्दित भी किया गया था। उक्त विवादग्रस्त आराजियात खसरा नं0 857 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे स्थित कदीमी रास्ता शामिल खातेदारी में रहा है। यह

रास्ता राजस्व नक्शे में कटा हुआ नहीं है, उक्त रास्ते को पूर्व में संबंधित खातेदारों में से ही खातेदार वादी घासी पुत्र भूरा एवं इसके पुत्रों द्वारा पत्थर छड़ियां डालकर एवं तारबन्दी कर दो स्थानों से बन्द कर दिया गया था। जिसको श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश कमांक आरए/20/258—59 दिनांक 27.07.2020 की पालना में दिनांक 28.07.2020 को मय पुलिस जाब्ता के श्रीमान तहसीलदारजी की उपस्थिति में पत्थर, छड़ियां एवं तारबन्दी हटाकर मौके पर सुचारु रुप से चालू कर दिया गया था तथा मौके पर रास्ता बन्द नहीं करने बाबत पाबन्द भी किया गया था। परन्तु इसके बावजूद भी वादी व पोखर, बोदूराम, फूलाराम पिता घांसी जाट ने उक्त चालू किये गये रास्ते का पत्थर डालकर एवं रास्ते में ट्रैक्टर से बुवाई करके पुनः बन्द कर दिया है। इस संबंध में दिनांक 10.08.2020 को पटवारी रिपोर्ट भी बनाई जाकर श्रीमान उपतहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़ को प्रस्तुत की गई थी। मिन जवाबदाता प्रतिवादीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि में आने—जाने हेतु एवं अपने निवास पर आने—जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त रास्ता कदीमी से वादी व अन्य पड़ौसी खातेदारों द्वारा उपयोग—उपभोग में लिया जाकर रास्ते के रुप में आने—जाने के काम में लिया जा रहा है। उक्त रास्ते को बन्द करने का अधिकार वादी को नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एकमात्र रुप से उक्त रास्ते को बन्द करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो प्रारम्भ से ही निरस्तनीय है।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण सं0 3 ता 10 के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से तारीख पेशी दिनांक 17.03.2025 को न्यायालय समय समाप्त होने तक कोई भी उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में चांहे गये अनुतोषानुसार वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा वादी अपनी खातेदारी भूमि हेतु अन्य खातेदारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। लिहाजा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम सिंगोदकलां, पटवार हल्का सिंगोदकलां, भू0अभि0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नं0 857 रकबा 1.89 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.89 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—115 / 2020
उनवान—घासी बनाम बजरंग वगै0
निर्णय दिनांक:—27.03.2025

किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व वादी के उपयोग—उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)